कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित शेष 35 दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की खुली बोली पद्धति से नीलामी दिनांक 20.03.2025 को प्रातः 10:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार में होगी। बोली भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 20.03.2025 को समय प्रातः 10:30 तक करानी होगी। उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी, नीलामी की शर्तों के अनुसार जाम करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

05.3.25
(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मेरठ

05/3/25
(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0सं0–09, मेरठ

05/03/25
(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0 सं0–01, मेरठ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट व जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

6– समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

नीलामी की शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–2026 के लिये चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 20–03–2025 को प्रातः 10:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर में स्थित चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। नीलामी के नियम तथा शर्ते इस प्रकार है–

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2024–2025 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम् बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी–मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिकी करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा ऐसा न करने पर उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।
13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।
15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थो की बिकी नहीं करेंगे।

16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा एवं स्वच्छता का ध्यान रखेगा।
20. नीलामी प्रकिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध में सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।
22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।
23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।
24. निकट भविष्य में जनपद न्यायालय परिसर में दुकानों का स्थायी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है यदि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उक्त संबंध में निर्माण कार्य प्रारंभ होता है को आवंटी दुकानदार को जो भी व्यकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा उसी स्थान पर उसे अपनी दुकान स्थानांतरित करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
25. दुकान सं0 30 ता 34 के लिये यदि ए0डी0आर0 भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–2026 में प्रारम्भ हो जाता है तो इस स्थिति में उक्त दुकान के बोलीदाताओं द्वारा दुकान का स्थान तुरन्त खाली करना होगा। परन्तु पूर्व में जमा की गयी धनराशि वापस नहीं होगी और शेष किराये के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

05.3.25
(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मेरठ

05/3/25
(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0सं0–09, मेरठ

05/03/25
(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0 सं0–01, मेरठ

Approved.

District Judge,
Meerut